214

संख्या– /XXVIII–5–2013–126 / 2011

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांकः 18 सितम्बर,2013

विषयः **जनपद चमोली में कालेज ऑफ नर्सिंग, जी0एन0एम0 एवं ए0एन0एम0 स्कूल हेतु भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित किये जाने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–7प / 1 / 31 / 2011 / 20122, दिनांक 03.08.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चमोली के पठियालधार तोक में स्थित चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के स्वामित्व वाली भूमि / निर्मित्त भवन, नर्सिंग कालेज एवं जी0एन0एम0 स्कूल के प्रयोजनार्थ ग्राम पपडियाणा के ज0वि0र0 खतोनी संख्या–41 खसरा नम्बर 2261 रकवा 6.519 है0 भूमि **मध्ये 0.686 है0 भूमि श्रेणी–9(अ)**, ग, स्थाई पशुचर एवं चराई की भूमि गोचर नाम तथा खाता खतोनी न0–42 खसरा न0–1991 है0 रकवा 2.512 है0 मध्ये 0.700 है0 तथा खसरा न0–1992 रकवा 0.531 है0 कुल 0.750 है0 भूमि जो श्रेणी 9(3)ड0 कृषि योग्य बंजर भूमि कुल 1.434 है0 भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) प्रश्नगत भूमि में निर्मित आवासों के अधिकृत अध्यासियों के पुनर्वास का दायित्व चिकित्सा शिक्षा विभाग का होगा।

(2) भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

(3) जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन की अनुमति प्राप्त हो चुकी हो।

(4) हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न परियोजन के लिए उपयोग की जाय, तो उसके लिए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(5) यदि भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से स्वतः ही निहित हो जायेगी।

(6) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

(7) जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है, उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभा को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

(8) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(9) प्रस्तावित भूमि पर गैर बानिकी कार्य किये जाने की दशा में नियमानुसार वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही, सक्षम प्राधिकारी स्तर से पूर्व में सुनिश्चित कर ली जायेगी।

2– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–260 / वि0अनु0–3 / 2002, दिनांक 15.02.2002 में निहित प्रतिबन्धों के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत करान का कष्ट करें।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव।

संख्या–1409(1) / XXVIII–5–2013–126 / 2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) ~~प्रमुख~~ सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(2) मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
(3) जिलाधिकारी, चमोली।
(4) मुख्य चिकित्साधिकारी, चमोली।
(5) निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव।